

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 जून 2021—ज्येष्ठ 27, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ ए 3-48-2019-1-पांच (38).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-48-2019-1-पांच (09) दिनांक 23 फरवरी, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) पहले अनुच्छेद में, “31 मार्च” अंकों और शब्दों के स्थान पर “30 जून” अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (ii) पहले अनुच्छेद में, “1 अप्रैल” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 जुलाई” अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2021 से लागू मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,  
भोपाल, दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ ए 3-48-2019-1-पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-48-2019-1-पांच (38), दिनांक 17 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> June 2021

No. F A 3-48-2019-1-V-(38).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-48-2019-1-V-(09) dated 23<sup>rd</sup> February 2021, namely :—

In the said notification,—

- (i) in the first paragraph, for the figures, letters and words, "31<sup>st</sup> day of March", the figures, letters and words "30<sup>th</sup> day of June", shall be substituted;
  - (ii) in the first paragraph, for the figures, letters and words, "01<sup>st</sup> day of April", the figures, letters and words "1<sup>st</sup> day of July", shall be substituted.
2. This notification shall be deemed to come into force with effect from 30<sup>th</sup> day of March, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.